

तारीख
हस्ताक्षर

हुकम या कार्यवाही भये इतिरायतस जज

18-8-21

उभय पक्ष द्वारा उपरोक्त आजासीन अधिकारी राज्याध्य
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 22.08.2021 को पेश हों।

रांडर

उपरग्रह अधिकारी महाराष्ट्र

29-6-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
अधिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 29.6.21 को पेश हो।

1-12-21

पत्रावली प्रशासन गांवों के लेग अभियान
कैम्प 2021 ग्राम पंचायत श्रीमडियास में पेश
हुई, नहसीलगाव मोडल से रिपोर्ट प्राप्त हुई
जिले शामिल पत्रावली किया गया। प्राथमिकी की
प्रार्थना पर स्वीकार किया जाकर निर्दिष्ट पत्र
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली कुलल सुमार होकर नम्बर से रफ्तार

श्री. पूजा खोसला
उपरग्रह अधिकारी महाराष्ट्र
प्रशासन गांवों के लेग अभियान 2021



प्रालय उप
सीन अधिका
श्या :- 26/2
अभियान
सि.तर
की ओर से
या कि प्रा
क्त खातों
1.2.3.
के सीमा ति
ते की भू
प्रार्थना
र्थ से यह
। वैसे
न किसी
आधार
का प्रा
ग.....
.....
ने तर
नये ज
नर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 26/21 प्र। पत्र

प्रशसन गाँवों के संग अभियान 2021

1- श्री राममालाबाई शिवाजी-भीमडियास तहसील मांडल
--प्राथी

1- ऊँकार शिवाजी-भीमडियास तहसील मांडल (गौर)
बनाम
(प्रसोक्ति 9-पत्र संकेत)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 01-12-21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीमडियास पटवार हल्का भीमडियास तहसील मांडल/में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं. 98111 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी

मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान करायें जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 8-2-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमडियास पटवार हल्का भीमडियास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 98111 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक राजवामपुरा को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशसन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर पत्थरगद्दी की जावें।
जाकर पालनारिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी मांडल
प्रशसन गाँवों के संग अभियान 2021